

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025**

**IN THE MATTER OF**

NEWS ITEM TITLED "WASHING CENTER PAR 1000 AVEDH VAAHAN  
HAR MAHINE 30 CRORE LITRE PAANI KAR RAHE BARBAAD"  
APPEARING IN JAGARAN CITY NOIDA DATED 27.04.2025

**INDEX**

S.No.	Particular	Page No.
1.	ACTION TAKEN REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR PRADESH	2 to 5
2.	<b>ANNEXURE A (Colly.)</b> Copy of Notice Dated 03.09.2025	6 to 62
3.	<b>ANNEXURE B</b> Copy of the Show cause notice	63 to 64

Through



Gigi C. George Advocate  
Standing Counsel (UOI)

Date:15/12/2025

Ch. No. 457, Lawyers Block, DHC, New Delhi

[Gigigeorge.adv42@yahoo.in](mailto:Gigigeorge.adv42@yahoo.in), M-9810625315

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025

IN THE MATTER OF

"NEWS ITEM TITLED "WASHING CENTER PAR 1000 AVEDH VAAHAN HAR MAHINE 30 CRORE LITRE PAANI KAR RAHE BARBAAD" APPEARING IN JAGARAN CITY NOIDA DATED 27.04.2025"




ACTION TAKEN REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
RESPONDENT NO. 4 GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR  
PRADESH

I, \_VISHWAJEET SINGH, aged about 37 years working as NODAL OFFICER GROUND WATER DEPARTMENT do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That deponent is well conversant with the facts and circumstances of the case and duly authorized to swear and affirm this affidavit on behalf of the Respondent No. 4 i.e. Ground Water Department, Uttar Pradesh

That Instant Original Application no. 225 of 2025 registered *sue moto* on the basis of news item titled "washing center par 1000 Avedh Vaahan Har Mahine 30 crore Litre Paani Kar Rahe Barbaad" appearing in Jagaran city noida dated 27.04.2025, this Hon'ble Tribunal passed the order dated 08.05.2025 with the following observation: -



*[Handwritten signature]*

.....

"2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage"

....

3. That Hon'ble Tribunal vide its order dated 08.05.2025 impleaded the answering respondent as Respondent No. 4, issued notice, and directed to file reply by way of affidavit.




4. That in compliance with the order dated 08.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the answering respondent has identified **55** car washing centers and, accordingly, issued show cause notices dated 03.09.2025, directing them to produce valid No Objection Certificates (NOC), if any, granted for extraction of ground water. Copy of the Show cause notice dated 03.09.2025 are annexed herewith as **Annexure A (Colly.)**.

5. In Pursuant to the order dated 08.05.2025 of this hon'ble Tribunal, notices were served twice to ensure due communication and to provide sufficient opportunity to the concerned establishments to take corrective measures.

Despite repeated service of notices, several washing centers failed to demonstrate satisfactory compliance within the stipulated time period.


6. That in furtherance of enforcement action, an inspection was conducted on 08.12.2025, during which **14 borewells were sealed** for being operated without Valid NOCs and in violation of prescribed norms. The process of sealing the remaining non-compliant borewells is currently ongoing.

7. That additionally, show cause notices have been issued to the defaulting washing centers, calling upon them to explain why penalty (ranging from ₹2,00,000/- to ₹5,00,000/- as per case) should not be imposed for continued non-compliance. The authorities are monitoring the matter closely, and further action shall be initiated in accordance with law if compliance is not ensured within the specified timeframe. Copy of the Show cause notice is annexed herewith as **Annexure B**.



8. That the present Reply by way of affidavit may kindly be taken on record and into consideration, and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order(s), direction(s) as deemed fit and proper under the facts and circumstances of the present case.

9. That the Answering Respondent seeks leave to make additional submissions, if required, during the course of the proceedings as and when directed by this Hon'ble Tribunal.



Verification

Verified at New Delhi on \_\_\_ September 2025 that the contents of the above reply affidavit are derived from the official records and personal knowledge and are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

विश्वजीत सिंह  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद  
खण्ड-गौतमबुद्धनगर

DEPONENT

विश्वजीत सिंह  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद  
खण्ड-गौतमबुद्धनगर

15 DEC 2025

**ATTESTED**  
  
**CHHATARPAL SINGH**  
**ADVOCATE (NOTARY)**  
Reg. No. 51705/25, G.B. Nagar (U.P.)

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 16 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 21/09/2025

KONCEPT AUTO MOBILES,  
PVT. LTD., PLOT NO-A-54,  
Section-02, NOJDA.

---नोटिस---

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो माने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिकाारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 17 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025

KONCEPT AUTO MOBILES PVT. LTD.

PLDT No. B-5,6,7,


Sector-60, Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 18 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.

Plot No-A-25, sector - 64,


Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




डिस्ट्रिक्ट अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 19 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. LTD.  
Plot No-A-31, Sector-2,  
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225 / 2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 20 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Silver Arrow Auto Mobiles Pvt.Ltd.  
Plot No-D-7, Sector-8,  
Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 21 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No-C-11,12, Sector-59,  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 22 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

A&A, Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No-F-477, Sector-63,  
Noida

---नोटिस---

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 23 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vinas Auto Mobiles Pvt. Ltd.  
Plot No - A-18, Sector - 6,  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 24 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Pankash Auto mobiles  
Plot No-A-38, Sector-08  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 25 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Deutsche Cars Pvt. Ltd.  
Plot No-H-8, Sector-63  
Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 26 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Spirited Auto Cars Ltd.  
Plot-No-D-11, Sector-8  
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल/अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 27 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


Gautam Budh Cars Pvt. Ltd.  
Plot No-B-127, Sector-5  
Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नेशनल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 28 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Sagar Motors  
Plot No-B.123, Sector-05  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 29 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors Pvt. Ltd.  
Plot. No - B-124, Sector - 5  
Noida

:-नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 30 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


vipul motors  
J-10, Sector-63,  
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नेटवर्क अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 31 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rohan Motors Ltd.  
Plot No-C-9, Sector-01,  
Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 32 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Uttam Toyota A Division of The  
Standard Type Foundry Pvt.Ltd.  
Noiela.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखो को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 33 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


KONCEPT AUTOMOBILES PM. LTD.  
PLOT NO - C-11, 12 SECTOR-59  
NOIDA

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 34 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 3/09/2025


**FAST TRACK AUTO CAR INDIA PVT LTD**  
**PLOT NO - A-31 - SEC - 63,**  
**NOIDA**

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 35 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


**RAHUL MOTORS**  
**PLOT NO-A-59,SECTOR-80**  
**PHASE-II NOIDA.**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 36 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


SHIVA MOTOCORP A UNIT  
OF NARMOLI APPARELS' PVT. LTD.  
NOIDA

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 37 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 21/09/25


NAKSHA ENTERPRISES  
PVT. LTD. (ACE HONDA)  
NOIDA.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 38 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


**ACTION AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT No-H-5  
SECTOR-63, NOIDA.**

**-:नोटिस:-**

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रूपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 39 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 23/09/2025


**CAPITAL AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT No-J9+FBV Block-D,  
Sector-63, NOIDA.**

---नोटिस---

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टर्स पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 40 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


**CAPITAL AUTO MOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-B-79/80,  
SECTOR-2, NOIDA**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद" के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 41 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


CAPITAL AUTOMOTIVE  
PRIVATE LIMITED, PLOT NO-A-7,  
SECTOR-83, NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 42 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


**CAPITAL AUTOMOTIVES  
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-C-47,  
SECTOR-58, NOIDA.**

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025"वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद" के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 43 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


**MOTOR CRAFT SALES,  
PRIVATE LIMITED. PLOT NO-15,  
SECTOR-140, NOIDA,**

**-:नोटिस:-**

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 44 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/4/2025


MOTOR CRAFT INDIA,  
PVT. LTD. PLOT NO-C-42,  
SECTOR-57, NOIDA.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।


उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 45 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/07/25


**MOTOR-CRAFT, PVT. LTD.**  
**PLOT NO-F-8 & 9, SECTOR-8,**  
**NOIDA.**

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 46 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


SAHU REFRIGERATION  
INDUSTRIES LIMITED,  
PLOT NO. H-162, SECTOR-63, NOIDA

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 47 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03.09.2025


ALLIED MOTORS LIMITED  
PLOT No-W-9, SECTOR-11,  
NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 48 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


**PUNJAB MOTORS**  
**WORKS LCV. PLOT No.05, BLOCK-C;**  
**SECTOR-81, NOIDA.**

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या नियेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 49 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025

SHANTI AUTO SALES  
Pvt.LTD. PLOT NO-B-27,  
SECTOR-81, NOIDA.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 72 /N.G.T/ O.A- 225/2025 दिनांक- 9/09/2025

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025

News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं०-392/एल-215/2025 के क्रम में जिसमें वाहन सर्विस व वाहन वाशिंग सेन्टर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में ग्रेटर नोएडा में 34 कार वाशिंग सेन्टरों को चिन्हित करके नोटिस दिये गये हैं, (सूची व नोटिस छाया प्रति सलंगन) नोटिस अवधि समाप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विश्वजीत सिंह)

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:-1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 50 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


Shivagy Auto Care  
Pvt. Ltd, Plot No-D-021,  
Site-4, Greater Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद" के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 08/09/2025


Spirited Auto Car India  
Limited, Plot No-B-37,38,  
Site-4, Greater Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
मंडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 52 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Motor Craft, Plot No-D-40,

Site - 4, Greater


Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 53 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03/09/2025

Koncept, Automobile  
Pvt. Ltd. Plot No-D-10,  
Site-4, Greater Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Sagar Motors,  
Plot No.-C-4, Site-4,  
Near Pauri Chowk Grr. Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 55 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Hyundai fortune, (Aspire Automobile),  
Plot No-D-74, site-4,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्याराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेक्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेक्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
गौतम अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 56 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

NRL Kia Plot No-B-1,

Site-4, Greater

Noida:

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:-57 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


Shaurya Automobile (Hero),  
Plot No.-E-93, Site-4,  
Greater Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।


उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 58 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025

Fortune Hyundai (Aspire Automobile),  
Plot No-103, Ecotech -12,  
Greater Noida.

---नोटिस---

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 59 / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


~~Frontier Automobiles~~  
Rt.Ltd., Plot No.-E-95, Site-4,  
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिकाारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 60 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03/09/2025


Sagar Motors, Plot No-29,  
Ecotech-12,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 61 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rana Motara (Nexa),  
Plot No-93, Ecotech-12  
Greater Noida.

--नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशासी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 62 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Motor Craft Sails Pvt. Ltd.

Plot No-93, Ecotech-12,


Greater Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



सेडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशायी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 63 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Vipul Motors Pvt. Ltd.

Plot No-64, Ecotech-12,


Greater Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



भूजल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिकाारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 64 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


SkyLine Rajay, Plot.No-E94,  
Site-4, Greater  
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 65 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


Shree Ram Motors,  
Plot No.-E-86, Site-4,  
Greater Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 66 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


My TVS Car Care  
Solution, Plot No. E-07,  
Site - 4, Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 67 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Sagar Motors, Plot No.-E-36,  
Site -4, Near Paru Chowk,  
Greater Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 68 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


RAJ ENTERPRISES, PLOT NO, 10-A,  
UDYOG VIHAR,  
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर [upgwdonline.in](http://upgwdonline.in) या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशारी अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 89 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Taiswal Motans, Plot No, 31,  
Mahila Udyami Park-2,  
Ecotech-3, Greater Noida,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwaieetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwaieetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


  
नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता,  
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,  
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2  
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 70 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


MS MOTORS, Plot No, -393,  
Udyog Kendra-1, Ecotech-3,  
Gazutah Noida.

:-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- [vishwajeetsingh.exen@gmail.com](mailto:vishwajeetsingh.exen@gmail.com) पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

  
नोडल अधिकारी  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 71 / NGT/O.A.225/2025 दिनांक- 9/09/2025

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं०-622/सामान्य-85(NGT)/2025 के क्रम में जिसमें वाहन सर्विस व वाहन वाशिंग सेन्टर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में ग्रेटर नोएडा में 21 कार वाशिंग सेन्टरों को चिन्हित करके नोटिस दिये गये हैं, (सूची व नोटिस छाया प्रति सलंगन) नोटिस अवधि समाप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विश्वजीत सिंह )

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:-1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर।  
 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, GROUND WATER DEPARTMENT  
 ए0ई0-18 अंसलगोल्फ लिंक-2, दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- १० / मू०ज०वि० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 / गौतमबुद्धनगर,

दिनांक: 11.12.25

SHIVAAY AUTOCARE  
 PVT LTD.  
 GREATER NOIDA

:-कारण बताओ नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेशमें 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयवद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थानों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर 2-5 लाख तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतएव कार्यालय, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के पत्रांक-354 / मू०ज०वि० / एस-26(एन०जी०टी०), दिनांक 25-06-2025 नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् गौतमबुद्धनगर को मा० राष्ट्रीय अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-225 / 2025 News item titled "वाशिंग सेन्टर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ पानी कर रहे बरबाद "Appearing in Jagaran City Noida. date 27-04-25 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 विभागीय प्रतिनिधि नामित किया गया था।

आपके द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको पूर्व में दो नोटिस दिनांक 03-09-2025 व दिनांक 29-10-2025 दिये जा चुके हैं। अतः उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा वाशिंग सेन्टर पर पूर्व से किये जा रहे भूजल दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय-08 की धारा 39(1-ख) के अन्तर्गत क्यूं ना दो लाख रुपये (रु० 2,00,000/-) से पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000/-) तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाए। इसका प्रतिउत्तर अद्योहस्ताक्षरी को 15 कार्यदिवस में कारणों सहित देने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धाराओं में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए दो लाख रुपये (रु० 2,00,000/-) से पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000/-) तक का जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी  
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्  
 जनपद-गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू०ज०वि० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 / गौतमबुद्धनगर / तदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिलाभूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद-गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी  
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्  
 जनपद-गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर।  
**OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, GROUND WATER DEPARTMENT**  
 00ई0-18 अंसलगोल्फ लिंक-2, दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 91 / भू0ज0वि0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 / गौतमबुद्धनगर,

दिनांक: 11.12.25

**KONCEPT**  
**AUTO MOBILES PVT LTD.**  
**NOIDA**


**:-कारण बताओ नोटिस:-**

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयवद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थानों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर 2-5 लाख तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं।

अतएव कार्यालय, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के पत्रांक-354/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0), दिनांक 25-06-2025 नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् गौतमबुद्धनगर को मा0 राष्ट्रीय अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-225/2025 News item titled "वाशिंग सेन्टर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ पानी कर रहे बरबाद 'Appearing in Jagaran City Noida. date 27-04-25 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 विभागीय प्रतिनिधि नामित किया गया था।

आपके द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको पूर्व में दो नोटिस दिनांक 03-09-2025 व दिनांक 29-10-2025 दिये जा चुके हैं। अतः उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा वाशिंग सेन्टर पर पूर्व से किये जा रहे भूजल दोहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय-08 की धारा 39(1-ख) के अन्तर्गत क्यूं ना दो लाख रुपये (रु0 2,00,000/-) से पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000/-) तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाए। इसका प्रतिउत्तर अद्योहस्ताक्षरी को 15 कार्यदिवस में कारणों सहित देने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धाराओं में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए दो लाख रुपये (रु0 2,00,000/-) से पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000/-) तक का जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की जायेगी।

  
 नोडल अधिकारी  
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्  
 जनपद-गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 / गौतमबुद्धनगर / तदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिलाभूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, जनपद-गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

1  
 नोडल अधिकारी  
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्  
 जनपद-गौतमबुद्धनगर।